"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 168] रायपुर, शनिवार, दिनांक 7 जुलाई 2012—आषाढ़ 16, शक 1934

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2012

अधिसूचना

फा. क्रमांक 5678/2071/21-ब/छ.ग./2012.—स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 की सं. 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, छ.ग. उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग द्वारा, अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लेखित प्रविष्टियों के संबंध में, पूर्व में जारी अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना के अनुसूची में, कॉलम (2) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में उल्लेखित स्थान पर विशेष न्यायाधीश पदस्थ किया जाता है :—

स. क्र. (1)	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पदनाम (2)	सिविल जिले का नाम (3)
1.	श्री जगदम्बा राय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	रायगढ़

Raipur, the 7th July 2012

NOTIFICATION

F. No. 5678/2071/XXI-B/C.G./2012.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61of 1985), the State Government, with the concurrence of the Hon'ble Chief Justice of High Court of Chhattisgarh, hereby makes the followings amendment in department's previous notifications, relating to the entries mentioned in column No. (2), namely :—

AMENDMENT

In the Schedule of the said notification, Officer mentioned in column (2) is posted as special Judge, at the place mentioned in column (3) of the said Schedule, namely :—

S. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Name of Civil District (3)
1	Shri Jagdamba Rai Ist Additional Sessions Judge	Raigarh

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामन्तराय, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.